

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
क्रमांक:-प.2(11)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 15 OCT 2020
15 OCT 2020

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/96 दिनांक 28.02.2013 को अधिक्रमित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49) की धारा 4 (2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जयपुर को विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 4, जयपुर एवं विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) जोधपुर को विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 2, जोधपुर के रूप में परिवर्तित कर सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनके पीठासीन अधिकारी को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशिष्ट न्यायाधीश नियुक्त करती है। इन न्यायालयों द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जो समय-समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इन न्यायालयों को अन्तरित किये जायेंगे।

नोट- वर्तमान में कार्यरत विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 1, जोधपुर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
15.10.2020
(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

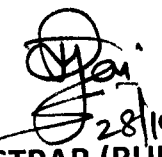
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/10/13/1412

Date: 28/10/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the District & Sessions Judges.
3. All Chief Judicial Magistrates/ Chief Metro. Magistrates
4. Concerned Courts
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).


28/10/2020
REGISTRAR (RULES)